DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 6 फरवरी 2024

DDA को अपार्टमेंट के रीडिवेलपमेंट पर काम शुरू कर देना चाहिए : एक्सपर्ट

40 साल पुराने मयूर विहार फेज-वन पॉकेट वन के लोगों को बंधी उम्मीद

NBT कायापलट
घर वहीं, सूरत नई

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

40 साल पुराने मयूर विहार फेज-1 पॉकेट वन की तरह डीडीए के कई पॉकेट्स के स्ट्रक्चर्स की लाइफ पूरी हो चुकी है। एक्सपर्ट के अनुसार डीडीए को इन अपार्टमेंट के रीडिवेलपमेंट पर अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। शुरुआत अभी नहीं की तो आने वाले चार से पांच साल में कई जगहों पर स्थिति काफी गंभीर हो जाएगी।

एक्सपर्ट के अनुसार डीडीए की मयूर विहार फेज-1 पॉकेट-वन की तरह ही डीडीए की हर पॉकेट में लोगों के सवाल हैं। लोग बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं, खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इसके लिए फंड की दिक्कतें रहेंगी। यह काम आसान नहीं है। सरकारी विभागों के चक्कर लगाने होंगे। इस सोच के साथ लोगों ने अपने फ्लैट्स में खुद मॉडिफिकेशन करवा लिए हैं। मास्टर प्लान-2021 में जो प्रावधान हैं, उनकी जानकारी कई आरडब्ल्यूए को नहीं है। मास्टर प्लान में भी रीडिवेलपमेंट के लिए प्रावधान है, लेकिन इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है।

फायदे के बाद ही लोग होंगे तैयार : एक्सपर्ट के अनुसार मयूर विहार फेज-वन पॉकेट वन निश्चित तौर पर यमुना के पास है। इसलिए इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को पर्यावरण और यमुना की इकोलॉजी के हिसाब से भी तय करना होगा। रीडिवेलपमेंट के नाम पर दिल्ली के लोग अपनी सोसायटियों में दो से चार फ्लोर अतिरिक्त तो बना सकते हैं, लेकिन इससे अधिक के लिए वह तैयार नहीं होंगे। फिर लोग अपनी प्रॉपर्टी पर अब तक किए गए इन्वेस्टमेंट को भी देख रहे हैं। इसलिए रीडिवेलपमेंट के लिए जब तक ऐसा प्लान नहीं बनेगा जो लोगों को फायदेमंद लगे, तब तक लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे।

एक्सपर्ट के अनुसार मुंबई में कई जगहों पर रीडिवेलपमेंट में लोगों को बड़े फ्लैट्स, स्वीमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, जिम, प्ले एरिया के साथ कुछ फाइनेंशल प्रॉफिट भी मिले हैं। यहां लोगों के जहन में यह बात आ रही है कि तीन मंजिल की जगह डीडीए बिल्डर से दस मंजिल खड़ी करवा लेगा और अपना प्रॉफिट साथ लेगा।

दिल्ली में हाईराइज का विकल्प बेहतर

आर्किटेक्ट और रिसर्चर सुमंत शर्मा के अनुसार यहां पर लोग अपनी हरियाली बरकरार रखते हुए उंचाई पर जा सकते हैं। डीडीए आरडब्ल्यूए को साथ लेकर पीपीपी मॉडल पर जा सकता है। इस मॉडल से रीडिवेलपमेंट में आरडब्ल्यूए के अधिकार बरकरार रहेंगे। साथ ही ग्रीन इनीशिएटिव को बढ़ाते हुए यहां के लिए डीडीए प्लान तैयार कर सकती है। लोगों को आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए फ्लैट्स की जरूरत होगी। इसके दो ही विकल्प है कि हाईराइज बनें या फिर शहर से बाहर जाकर घर लें। दिल्ली में हाईराइज का विकल्प बेहतर है। लैंड पूलिंग पॉलिसी की तरह डीडीए यहां कुछ ला सकता है। लैंड पूलिंग पॉलिसी में लोग मिलजुलकर कंसनटोरियम बना रहे हैं। ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 में रिजनरेशन के नाम से रीडिवेलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। जहां तक मयूर विहार का यमुना खादर से पास होने का सवाल है तो विकास मिनार भी इसके पास बनी है। इसलिए इस इलाके में हाईराइज बनाए जाने में दिक्कत नहीं है।

दिल्ली लैंड पूलिंग में फंसी

डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर एके जैन के अनुसार यहां रीडिवेलपमेंट ओवर ड्यू हो रहा है। जब तक डीडीए इसकी एसओपी नहीं बनाएगा लोग समस्याओं से जूझते रहेंगे। मुंबई में रीडिवेलपमेंट्स के लिए पूरी गाइडलाइंस बन चुकी हैं। दिल्ली लैंड पूलिंग में फंसी है। 18 साल बाद भी यह आगे नहीं बढ़ पाई है। यही वजह है कि दिल्ली की तस्वीर बिगड़ती जा रही है। फ्लैट्स में प्रॉपर्टी बिक चुकी हैं। कई ओनर है। किरायेदार हैं। ऑक्युपायर यूज किया मास्टर प्लान 2021 में, माड्यूलर कीचन, माड्यूलर टायलट, किरायेदार, आक्युपायर, पावर ऑफ अटार्नी होल्डर के हितों के लिए भी एसओपी बनाना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसायटी के तौर पर आरडब्ल्यूए खुद को रजिस्टर्ड करवाएं, इससे 70 प्रतिशत सदस्यों की सहमति काफी होगी।

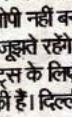

सवालों के जवाब भी

अगर रीडिवेलपमेंट को लेकर मन में कोई सवाल हैं तो उनका जवाब भी हम एक्सपर्ट्स की मदद से देंगे। रीडिवेलपमेंट पर अपनी राय, सुझाव और सवाल आप ईमेल भी कर सकते हैं। अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपने बारे में जरूरी जानकारी nbtreader@timesgroup.com पर भेज दें। सब्जेक्ट में Redevelopment जरूर लिखें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 6 फरवरी 2024

यशोभूमि जाते वक्त दिखेंगे सूरज, नंदी और बुद्ध

काम हुआ शुरू : पहले चरण में संवारे जा रहे द्वारका के चार चौराहे

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में द्वारका को खूबसूरत बनाने का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में द्वारका के चार चौराहों को डिवेलप किया जा रहा है। यह चारों चौराहे सीधे तौर पर यशोभूमि रूट पर पड़ रहे हैं। इनमें से एक द्वारका सेक्टर-1 चौक का काम अंतिम चरण में है। यहां हार्स फाउंटेन लगाया गया है। इसका उद्घाटन 10 फरवरी को एलजी वीके सक्सेना कर सकते हैं। यहां बने फुटपाथ की उंचाई मानकों के अनुरूप 150 एमएम रखी गई है। इस फुटपाथ का इस्तेमाल दिव्यांग व बुजुर्ग आराम से कर सकें इसके लिए नियमों के अनुरूप यहां स्लोप और रैंप भी बनाया जा रहा है। यहां ऐसे पौधे लगाए जा रहे हैं, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है।

द्वारका एक्सप्रेसवे और सेक्टर-22 के जंक्शन (जानकी चौक) पर 13 फुट की मध्याना सूर्य स्टैच्यू लगाई जानी है। यह चौक यशोभूमि तक पहुंचने का मुख्य पॉइंट है। आर्टवर्क इस तरह होगी कि इसे सड़क पर ड्राइव करते हुए या फिर फुटपाथ पर चलते हुए देखा जा सकेगा। इस स्टैच्यू का रंग ग्रेइश ब्लैक है। मध्याना सूर्य का अर्थ दोपहर के चमकदार सूरज से है। स्टैच्यू के चारों तरफ फूलों के पौधे और लाइटिंग भी होगी। यह मूर्ति 13 फुट उंची और 9 फुट चौड़ी होगी। यह आर्टवर्क राजस्थान के ब्लैक स्टोन से तैयार किया गया है। इसका वजह 60 से 100 टन तक है। यह पांच टुकड़ों में यहां लाई जाएगी और फिर इसे इंस्टाल किया जाएगा। जरूरत के हिसाब से इस आर्टवर्क की पैंसिंग भी की जा सकती है। स्टैच्यू की पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टालेशन आदि पर 92 लाख रुपये का खर्च आ रहा है। खास बात यह है कि इस पूरी जगह को एक पब्लिक प्लेस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर लोगों के लिए लैंडस्केपिंग के साथ बैठने की जगह भी होगी। यह आर्टवर्क आने वाले दिनों में भारत वंदना पार्क का एंट्री पाइंट भी होगा।

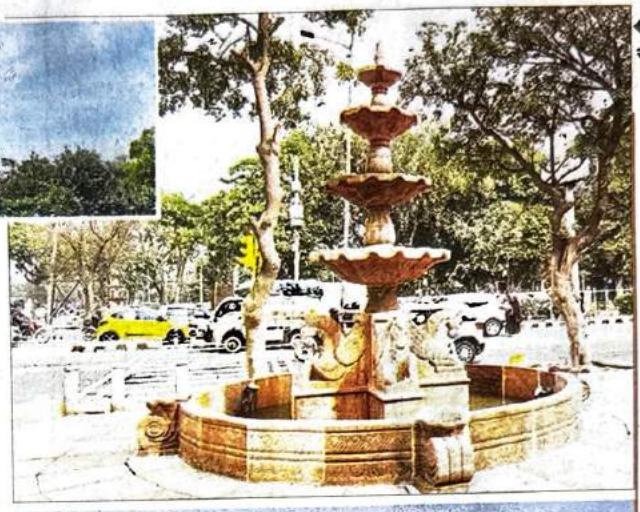

नंदी और बुद्ध की स्टैच्यू भी लगेंगी : द्वारका एक्सप्रेस वे और यूईआर-2 के जंक्शन पर नंदी लगाया जाएगा। यह चौराहा यशोभूमि के सबसे करीब है। यह आर्टवर्क यशोभूमि के साइड में ही लगेगा। यह एयरपोर्ट से यशोभूमि आने वाले अंतरराष्ट्रीय डेलिगेशन का एंट्री पॉइंट होगा। यह चारों तरफ से आ रहे ट्रैफिक को दिखाई देगा। डीडीए इस इंस्टालेशन के लिए एनएचएआई से कोऑर्डिनेट कर रहा है क्योंकि यह जहां लग रहा है वह एनएचएआई की जगह है। यह आर्टवर्क राजस्थान के ब्लैक भाइस्लाना स्टोन से तैयार हुआ है। इसकी उंचाई 12 फुट और चौड़ाई 5.5 फुट है। यह 2 फुट उंचे प्लैटफॉर्म पर रखा जाएगा। हिंदू मान्यता को ध्यान में रखते हुए यह यशोभूमि के दो मुख्य गेट के बीच में उसी तरह लगाए जाएंगे जैसे नंदी मंदिरों में लगाया जाता है। इसके अलावा भगवान बुद्ध की एक स्टैच्यू भी द्वारका के चौराहे पर लगाई जानी है।

NBT Lens समझिए खबरों के अंदर की बात

आर्ट वर्क का क्या फायदा?

आर्ट वर्क का यही फायदा होता है कि न सिर्फ इलाका सुंदर नजर आता है, बल्कि आने-जाने वाले राहगीरों को अपनी कला, संस्कृति और महापुरुषों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस लिहाज से द्वारका में आर्ट वर्क लगाना अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली के बाकी इलाकों का भी ब्यूटीफिकेशन करने के लिए इस तरह के आर्ट वर्क लगाए जाने चाहिए। इसके साथ ही आर्ट वर्क लगाते वक्त उनका रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जी20 के दौरान नई दिल्ली और एयरपोर्ट के रास्ते में बड़ी संख्या में आर्ट वर्क लगाए गए थे। इसका दायरा बढ़ाकर ही पूरी दिल्ली को सुंदर बनाने की दिशा में काम हो सकता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, TUESDAY, FEBRUARY 6, 2024

Maintain status quo on land where mosque was razed: HC to DDA

MALAVIKA PRASAD
NEW DELHI, FEBRUARY 5

THE DELHI High Court Monday asked the Delhi Development Authority (DDA) to maintain till February 12 "status quo" with respect to the land in Mehrauli where a mosque — Akhoondji Masjid — was demolished by the authority on January 30.

A single-judge bench of Justice Sachin Datta, listing the matter on February 12, said, "... it is directed that till next date of hearing, status quo shall be maintained in respect of land comprising new *khasra* numbers... situated in village Mehrauli... It is made clear the aforesaid order shall not prevent DDA/other civic agencies from taking requisite steps in adjoining areas/land for routine maintenance/restoration/other development works."

The order came in an application moved by the petitioner, managing committee of Delhi Waqf Board, seeking interim relief. Its counsel, advocate Shams Khwaja, argued Monday that demolition action has been taken "illegally" without following due process of law. He also argued that the action disregards a March 23, 2022, HC order where a "survey was directed" to be conducted with respect to the land.

DDA counsel Sanjay Katyal argued that the petitioner has "no locus to represent the Waqf Board", pointing to Delhi government's January 10 order wherein the Principal Secretary, Home Department (GNCTD), concerned has been appointed as the board's administrator till it is reconstituted. He further said DDA's action was taken pursuant to recommendations of the religious committee's January 4 meeting.

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 6 फरवरी 2024

मस्जिद की जगह 'यथास्थिति' बनाए रखने का आया आदेश

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को डीडीए से महरौली में उस जमीन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने को कहा, जहां पिछले महीने छह सौ साल से अधिक पुरानी एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा और इलाके में अन्य अवैध ढांचों के खिलाफ कार्रवाई करने में अधिकारियों के रास्ते में नहीं आएगा।

अगली सुनवाई तक लागू रहेगा HC का आदेश

कोर्ट ने मामले को 12 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए लगाते हुए कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) उस जगह पर यथास्थिति बनाए रखेगा, जहां 'अखुंदजी मस्जिद' स्थित थी। कोर्ट का आदेश दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति की याचिका पर आया, जिसमें तर्क दिया गया है कि मस्जिद का विध्वंस अवैध था। वक्फ के वकील ने साइट पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने का अदालत से आग्रह किया।

संजय वन में 'अवैध संरचना' होने के कारण 30 जनवरी को डीडीए द्वारा मस्जिद के साथ-साथ बेहरुल उलूम मदरसे को भी गिरा दिया गया था।

डीडीए ने दलील दी कि डिमोलिशन 4 जनवरी की धार्मिक समिति की सिफारिशों के मुताबिक किया गया था। डीडीए ने कहा कि यह फैसला धार्मिक समिति द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ को सुनवाई का अवसर देने के बाद लिया गया। 31 जनवरी को, कोर्ट ने डीडीए को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

 RS----------DATED----------

महरौली की अखूंजी मस्जिद पर यथास्थिति रखने का आदेश

जासं, नई दिल्ली: महरौली स्थित अखूंजी मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का डीडीए को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने. दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति द्वारा दायर एक जरूरी आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि यथास्थिति आदेश केवल उस खसरा नंबर के संबंध में पारित किया गया है, जहां मस्जिद थी। यह आदेश डीडीए पर आसपास के क्षेत्रों पर कार्रवाई करने में बाधा नहीं बनेगा।

दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अवैध थी। वक्फ वकील ने अदालत से साइट पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने का आग्रह किया। डीडीए ने कार्रवाई का बचाव किया कि उक्त कार्रवाई धार्मिक समिति की सिफारिशों के अनुसार की गई थी। यह भी कहा कि उक्त निर्णय लेने से पहले धार्मिक समिति ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ को सुनवाई का अवसर दिया।

उस्मानपुर से अवैध मछली बाजार को हटाने का निर्देश

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर से अवैध मछली-बाजार हटाने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और एसडीएम सीलमपुर को भी निर्देश दिया गया कि भविष्य में उस भूमि पर अवैध कब्जा न हो। अवैध बाजार के खिलाफ दायर आवेदन पर एनजीटी में दाखिल स्थिति रिपोर्ट में डीपीसीसी ने कहा कि मछली बाजार एसोसिएशन के तरफ से तहबाजारी वसूलने के दस्तावेज, तो पेश किए गए, लेकिन भू-स्वामी डीडीए की तरफ से जारी कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। आवेदनकर्ता मुदित कुमार के आवेदन पर एनजीटी ने पांच मई 2022 को डीपीसीसी को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। (जासं)

हिन्दुस्तान

मस्जिद मामले में यथास्थिति बनाए रखें

अदालत से

- महरौली की मस्जिद के ध्वस्तीकरण संबंधित याचिका पर आदेश पारित
- दिल्ली हाईकोर्ट कर रहा वक्फ बोर्ड प्रबंध समिति की अर्जी पर सुनवाई

नई दिल्ली, व. सं.। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को महरौली की 600 वर्ष पुरानी मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह आदेश दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति की याचिका पर पारित किया गया है। अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने स्पष्ट किया कि यथास्थिति केवल इस विशेष संपत्ति के संबंध में है और यह प्राधिकरण को अन्य अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेगी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ख्वाजा ने अदालत को बताया कि मस्जिद को कोई नोटिस दिए बिना ध्वस्त कर दिया गया था। यह संरचना लगभग 600 वर्ष पुरानी थी। उन्होंने दलील दी कि संपत्ति पर बने मदरसे और कब्रिस्तान को भी तोड़ दिया गया। डीडीए के स्थायी वकील संजय कात्याल ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि मस्जिद को धार्मिक समिति की सिफारिशों के अनुसार ध्वस्त किया गया है। यह वन भूमि पर अतिक्रमण था। बता दें कि महरौली में मस्जिद और बहरुल उलूम मदरसा को डीडीए ने 30 जनवरी को ध्वस्त कर दिया गया था।

ई-नीलामी के तहत बुक फ्लैट कराए

नई दिल्ली। डीडीए के फ्लैटों की ई-नीलामी का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया। 707 फ्लैटों की ई-नीलामी 10 फरवरी तक जारी रहेगी। सोमवार सुबह 11 बजे से फ्लैटों के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान आवेदनकर्ताओं ने वेबसाइट पर फ्लैट बुक कराए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, FEBRUARY 6, 2024

HC: Maintain status quo on land where mosque razed

Abhinav.Garg@timesgroup.com

New Delhi: Delhi High Court on Monday asked DDA to maintain status quo on the land in Mehrauli where a mosque, stated to be over six centuries old, was demolished last month as it was in a "no cconstruction" zone.

Justice Sachin Datta said the order shall remain in force till the next date of hearing and made it clear that the "order shall not prevent the DDA/other civic agencies from taking requisite steps in the adjoining areas/land for the purpose of routine maintenance/restoration/other development works."

The court acted on an urgent application filed by the managing committee of the Delhi Waqf Board, which argued that the demolition was illegal. The court, while listing the matter for hearing on Feb 12, stated that Delhi Development Authority (DDA) shall maintain status quo over the site where the 'Akhoondji mosque' was located.

DDA has defended its action before the court on the ground that the demolition took place pursuant to recommendations of the Religious Committee on Jan 4. The standing counsel for DDA, Sanjay Katyal, told the bench that the decision was taken after the Religious Committee afforded an opportunity of hearing to the CEO of Delhi Waqf Board.

HC JUDGE SAYS

Order shall not prevent DDA/other civic agencies from taking requisite steps in the adjoining areas/land for the purpose of routine maintenance/ restoration/other development works

However, the waqf counsel urged the court to stay any further demolition at the site and argued that the committee, which cleared the demolition, had no jurisdiction to go into waqf property. He claimed that the CEO had objected to the demolition in writing in the meeting of the committee.

The mosque and the Behrul Uloom madrasa were demolished by DDA on Jan 30 for being "illegal structures" in Sanjay Van, which falls on the south-central ridge of the capital. This area is a "no-construction zone".

The petitioners alleged that the demolition was done in a brazen manner and the imam and his family, who lived on the premises, were left homeless. They further alleged that the demolition was in violation of several court orders and was carried out without any survey of the property or prior notice.

The court said it would examine the legality of the nod given by the religious committee and subsequent action taken by DDA.

On Jan 31, the court asked DDA to file its reply clearly setting out the action that has been taken on the property as well as its basis. It asked DDA to inform the court if any notice was given before the demolition was done.

After HC's rap on bad air, MCD razes illegal guesthouse

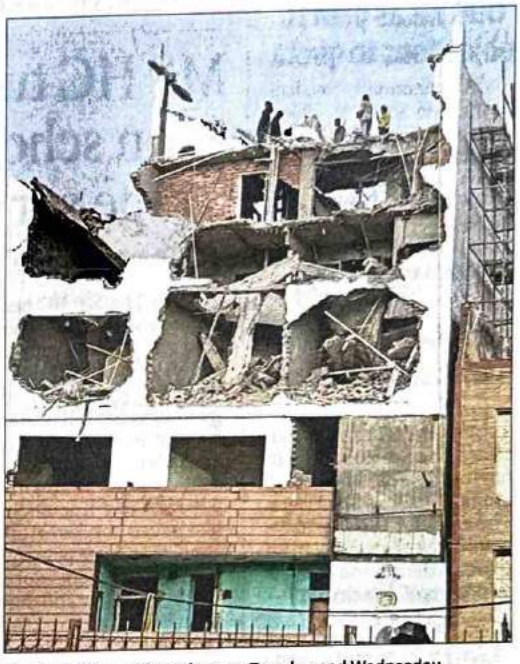

The demolition will continue on Tuesday and Wednesday

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Municipal Corporation of Delhi (MCD) has started demolishing a six-storey guesthouse in the Nizamuddin area, which was illegally built on DDA land.

"The demolition started on Saturday and was part of legal compliance. It will continue on Tuesday and Wednesday. The fourth, fifth and sixth floor of the property were completely demolished. The building (guest house) is situated in the Basti Hazrat Nizamuddin," the civic body said on Monday.

"Considering the fact that the house was sealed and still the construction on upper floors happened on the property on DDA land, we filed a police complaint for trespassing also," the official said.

The action was taken after Delhi High Court on Feb 1 criticised MCD and DDA for illegal construction in the capital. The bench said that despite a claim by the civic body that the premises was sealed, illegal construction resulted in the addition of floors to a guesthouse that was illegally built on a DDA land near the monuments.

Upset with MCD and DDA's failure in acting against unauthorised construction near the Nizamuddin ki Baoli and the Barakhamba Tomb, two centrally protected monuments, the bench headed by chief justice Manmohan and justice Manmeet PS Arora said on Thursday: "Prima facie, the matter requires investigation by CBI."

The proceedings took place on a public interest litigation filed by the NGO Jamia Arabia Nizamia Welfare Education Society. The plea alleged that DDA, MCD, Delhi Police and Archaeological Survey of India had failed to stop construction at the guesthouse, located within 100 metres of the centrally protected monuments.

It also contended that a large number of similar guesthouses had been allowed to operate in the area and the structures were a threat to the environment, heritage and cultural significance of the area.

The plea sought a direction to the authorities to "fulfil their constitutional obligations and duties" and stop the alleged illegal and unauthorised construction of the guesthouse.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times

Historians and activists have questioned encroachment action against an edifice that has existed for 900 years. PHOTOS: SAIR-E-HIND

12th century shrine razed in DDA drive at Mehrauli

Sanjeev K Jha and Ahell Das
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: On January 30, the grave of Baba Haji Rozbih — believed to be one of the first Sufi saints in Delhi — located inside Sanjay Van, a dense reserved forest in Mehrauli, was razed to the ground by the Delhi Development Authority (DDA).

A senior DDA official told HT that several religious structures inside Sanjay Van, which is a part of the Southern Ridge, were demolished, including the 12th century grave.

"As per the Ridge Management Board, the ridge area should be free of all types of encroachment, and so a committee was formed which suggested the removal of several illegal structures inside Sanjay Van," said the DDA official, who asked not to be named.

The demolition comes even as more than 314 hectares of the Southern Ridge are encroached, according to reports submitted to the National Green Tribunal (NGT). These encroachments include scores of multi-storey buildings and sprawling farmhouses, many of which have expanded deep into the dense forests of the ridge. Authorities have done little to take them down, despite a raft of court orders and observations. For instance, in December last year, the Delhi high court pulled up the state government for "dragging its feet" on stripping the Ridge of encroachments.

But the demolition action, and the logic, prompted historians and activists to raise questions over "encroachment" by an edifice that has existed for 900 years, and wonder if the agencies were targeting old monuments rather than new violations in the forested area.

Rich heritage

The grave, which was at the entrance of Qila Lal Kot, finds mention in the definitive "List of Muhammadan and Hindu Monuments, Volume III- Mahrauli Zila" published in 1922 by Maulvi Zafar Hasan, assistant superintendent of the Archaeological Survey of India (ASI).

According to the list: "Baba Haji Rozbih is revered as one of the oldest saints of Delhi. He is said to have come during the time of Rai Pithura and took up his abode in a cave near the ditch of the fort."

The 20th century text also mentions that "many of the Hindus embraced Islam by his advice, and the astrologers regarded this as an ill omen, and told the Raja that the coming of Baba Haji foreboded the advent of the Muhammadan rule into Delhi. It is also alleged by local tradition that a daughter of Rai Pithura also embraced Islam through him, and the other plaster grave which lies in the enclosure is assigned to her."

While there is little known about when exactly the Sufi saint reached Delhi, the list marks that the grave came up in the "latter part of the 12th century AD".

Praveen Singh, superintending archaeologist of ASI (Delhi Circle), told HT that the grave was not a part of the list of protected monuments under ASI. "It is not listed. We were not contacted by DDA or any other body before the demolition was carried out," Singh said.

In fact, the 20th century list by Maulvi Hasan mentioned that it was "unnecessary" to protect this structure under "Act VII of 1904 (Ancient Monuments Preservation Act).

Area cordoned off

The mosque of Akhoondji – whose date of construction is unknown, but date of repair is mentioned by Maulvi Hasan in the list as 1270 AH (1853-4 AD) – was also demolished by DDA on January 30.

The news of the demolitions, however, surfaced on social media on Sunday, five days after the DDA's action as parts of the area have been cordoned off. On Sunday, Sair e Hind, an Instagram page dedicated to Delhi's history and heritage walks, posted a photo of the rubble that now occupies the spot where the grave of Baba Haji Rozbih existed.

Syed Yusuf Shahab, who is the co-founder of the page, told HT, "I received a call yesterday from a friend, who lives in Chirag Delhi, and visits Sanjay Van on the weekends. He said that the grave had been removed. He also shared a photo, which I posted on the page."

Rana Safvi, historian and author, said that calling the religious structures inside Sanjay Van "encroachments" was incorrect. "The grave of Baba Haji Rozbih has been here for centuries. How can something from the past be an encroachment in the present? This is a huge loss for students, historians, and Delhi. Often, one would see Hindus and Muslims offer their respect here," said Safvi.

Historian and author Sam Dalrymple, too, echoed the sentiment. "That it was declared an encroachment and demolished in such a hurry is a bitter loss for everyone," he said.

HC directs status quo at Mehruali

NEW DELHI: The Delhi high court on Monday directed the Delhi Development Authority (DDA) to maintain status quo of the land in Mehruali on which the centuries-old Akhunji Masjid was demolished, till February 12.

A bench of justice Sachin Datta, however, clarified that its order would not preclude the authority from acting against other illegal properties in the area. HTC

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

6 फरवरी • 2024 राष्ट्रीय सहारा

अखोनजी मस्जिद की जमीन पर यथास्थिति बनाए रखे डीडीए : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से महरौली इलाके की उस जमीन पर 12 फरवरी तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है जिसपर कथित रूप से बनी छह सौ साल पुरानी अखूंदजी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने इसके साथ ही स्पष्ट किया कि उसका यह आदेश डीडीए को क्षेत्र में बने अन्य अवैध निर्माण को तोड़ने में आड़े नहीं आएगा।

न्यायमूर्ति ने यह निर्देश दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है जिसमें मस्जिद की जमीन की यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई थी। डीडीए ने 30 जनवरी को संपत्तियों को अनधिकृत निर्माण बताते हुए मस्जिद, बहरुल उलूम मदरसा और विभिन्न कब्रों को तोड़ दिया था। हाईकोर्ट ने 31 जनवरी को डीडीए से पूछा था कि क्या उसने मस्जिद गिराने से पहले कोई सूचना दी थी। इसपर एक सप्ताह में जवाब देने को कहा था। सोमवार को प्रबंध समिति ने कहा कि धार्मिक समिति के पास किसी भी निर्माण को तोड़ने का आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

वक्फ बोर्ड ने कहा है कि डीडीए ने न केवल मस्जिद को तोड़ दिया, बल्कि कब्रिस्तान में दफन शवों को भी खोदा और कुरान की प्रतियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। डीडीए ने जवाब दिया कि 4 जनवरी को धार्मिक समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्माण तोड़ा गया है। इससे पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ से अपना पक्ष रखने को कहा गया था, लेकिन कोई पेश नहीं हुआ। जहां तक कुरान को नुकसान पहुंचाने का मामला है, यह आरोप झूठा है। उनके वकील मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। धार्मिक पुस्तकों को सावधानी से संभाल कर रखा गया है और वर्तमान में वे अधिकारियों के पास सुरक्षित है।

यह आदेश डीडीए को क्षेत्र में बने अन्य अवैध निर्माण को तोड़ने में आड़े नहीं आएगा : हाईकोर्ट

4 जनवरी को धार्मिक समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्माण तोड़ा गया : डीडीए

डीडीए ने कहा,वक्फ बोर्ड के वकील मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे

amarujala.com
मंगलवार, 6 फरवरी 2024

डीडीए को महरौली मस्जिद भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को महरौली इलाके में स्थित उस जमीन पर 12 फरवरी तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जिस पर 600 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने साथ ही स्पष्ट किया कि उसका आदेश नागरिक प्राधिकरण को क्षेत्र में अन्य अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा। ब्यूरो

dainikbhaskar.

डीडीए महरौली मस्जिद मामले में यथास्थिति बनाए रखे : कोर्ट

एजेंसी | नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से महरौली में उस जमीन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने को कहा जहां हाल में 600 साल से ज्यादा पुरानी 'अखुंदजी मस्जिद' को ध्वस्त कर दिया गया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा, ये आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक प्रभावी रहेगा और क्षेत्र में अन्य अवैध संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के रास्ते में नहीं आएगा। ये फैसला दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति की याचिका पर आया, जिसमें दलील दी गई है कि मस्जिद को गिराया जाना अवैध था। अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।

डीडीए नहीं कर सकता अपनी मर्जी से तोड़फोड़ : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपनी मर्जी से कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकता है। ऐसी कार्रवाई शुरू करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही किसी पक्ष के उठाए गए आपत्तियों पर फैसला करना चाहिए। कोर्ट ने उक्त टिप्पणी के साथ करोल बाग के एक संपत्ति को तोड़ने पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता को अधिकारियों ने उसे अपना पक्ष पेश करने की अनुमति नहीं दी। इस वजह से उसे राहत दी गई है। डीडीए भी निर्णायक रूप से यह दिखाने में विफल रहा कि जमीन सरकार की थी और यह दिखाने के लिए रिकार्ड पर कुछ भी नहीं था कि संपत्ति नजूल भूमि का हिस्सा है। न्यायमूर्ति ने यह टिप्पणी बाल किशन गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। साथ ही डीडीए को करोल बाग इलाके के उसके घर को गिराने पर रोक लगा दी। अदालत ने डीडीए को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना गुप्ता को संपत्ति से बेदखल करने पर भी रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि गुप्ता ने संपत्ति को कथित रूप से खरीदने के बाद उसपर अधिकार किया था। इसलिए उन्हें पूर्व सूचना या कारण बताओ नोटिस के बिना तोड़ने की डीडीए की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता गुप्ता ने कहा था कि उसके निर्माण को तोड़ने से पहले उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस या सूचना नहीं दी गई थी।

कोर्ट ने उक्त टिप्पणी के साथ करोलबाग के एक निर्माण को तोड़ने पर लगा दी रोक

डीडीए को कार्रवाई शुरू करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा : हाईकोर्ट

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
TUESDAY, 6 FEBRUARY, 2024 | NEW DELHI

W ----DATED----

600-year-old mosque demolition: Delhi HC orders status quo on land

MPOST BUREAU

NEW DELHI: The Delhi High Court on Monday directed the Delhi Development Authority (DDA) to maintain the current state of the land in Mehrauli where a 600-year-old mosque was demolished last month. This "status quo" order will remain in force until the next court hearing on February 12 and allows the DDA to continue taking action against other illegal structures in the area, excluding the specific site of the demolished mosque.

Justice Sachin Datta issued the order in response to a plea filed by the Delhi Waqf Board, which maintains the mosque was demolished illegally. The Board requested the court to preserve the site as it was.

The mosque, known as the Akhoondji mosque, along with the Behrul Uloom madrasa, was demolished by the DDA on January 30 for...

Continued on P4

600-year-old

allegedly being an "illegal structure" within Sanjay van.

The DDA has defended its action before the high court on the ground that the demolition took place under the recommendations of the Religious Committee dated January 4.

The decision, DDA stated, was taken after the Religious Committee afforded an opportunity of hearing to the CEO of Delhi Waqf Board. The petitioner contended that the Religious Committee has no jurisdiction to order any demolition action.

On January 31, the court asked DDA to file its reply clearly setting out the action that has been taken in respect of the property concerned as well as its basis.

It also asked DDA to state whether any prior notice was given before taking the demolition action.

MEHRAULI DEMOLITION

Rebuild another mosque where it was demolished, demand locals

NEW DELHI: A week after the Delhi Development Authority (DDA) razed a 600-year-old mosque in Sanjay Van in south Delhi's Mehrauli, locals have demanded that the agency rebuild another mosque at the same site.

The Akhoondji mosque as well as the Behrul Uloom madrasa was demolished by the DDA on January 30 for being an "illegal structure" in Sanjay Van.

The DDA has defended its action before the high court on the ground that the demolition took place pursuant to the recommendations of the Religious Committee dated January 4.

The residents claimed a cemetery was also demolished during the drive.

Fauzan Ahmed Siddiqui, a member of the management committee of Dargah Qutub Sahan in Mehrauli, said that nobody the area where the mosque, madrasa and cemetery were demolished has been barricaded and no one is allowed to go inside.

The Delhi High Court on Monday asked the Delhi Development Authority (DDA) to maintain status quo with respect to the land in Mehrauli where a mosque, stated to be over six centuries old, was demolished last month.

Representational image

The court, while listing the matter for further hearing on February 12, stated that the DDA shall maintain status quo over the site where the Akhoondji mosque was located.

Regarding the recommendation from the Religious Committee, Siddiqui said the (DDA) should have gone to the court for a decision on the matter. He demanded that people be allowed to enter the cemetery area.

'If someone dies today, where do we take him? There is already a lack of a cemeteries. The madrasa, graveyards and the mosque were demolished without giving any prior intimation,' he said.

'It is being told that a notice was received from the revenue department on January 2. The religious committee meeting was held on January 4 and later no one received any notice. They came and gave a notice one hour before the demolition and told the people present there to remove their belongings,' he added.

Israr Ali, general secretary of Akhoondji mosque, said the property is in the gazette of Waqf board.

'The Waqf board has this property in its gazette. There were around 25 children in the madrasa who have been shifted to nearby madrasas. In 1994, the mosque came under Sanjay Van protected area which covers 738 acres of land,' Ali said. AGENCIES

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
| | TUESDAY | FEBRUARY 6, 2024 NEWSPAPERS--DATED---------------------

BJP RS MP seeks abolition of Places of Worship Act, 1991

PIONEER NEWS SERVICE
NEW DELHI

The Rajya Sabha on Monday saw members raising issues pertaining to road safety and accidents, demolition of place of worship and a demand for abolition of the Places of Worship Act, 1991.

Harnath Singh Yadav (BJP) demanded the immediate abolition of the Places of Worship Act, 1991, alleging the law impinges on the religious rights of Hindus, Sikhs, Jains and Buddhists provided under the Constitution.

During the Zero Hour mention in Rajya Sabha, he also claimed the law is harming communal harmony in the country. "Places of Worship Act is completely illogical and unconstitutional. It takes away the religious rights of Hindus, Sikhs, Buddhists and Jains under the Constitution.

"It is also damaging communal harmony in the country. Therefore, I urge the government to immediately repeal this law in the interest of the nation," the senior BJP leader said.

The legislation prohibits conversion of any place of worship and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on August 15, 1947.

This law, Yadav contended, violates the principles of equality and secularism provided in the Constitution. He also pointed out that the law prohibits judicial review.

Raising the matter of road safety during the Zero Hour, Fauzia Khan (NCP) said installation of dash cams in vehicles should be made mandatory to address concerns related to accidents and promote responsible driving practices.

The NCP member said there have been instances of protests against the strict provisions regarding hit-and-run cases in the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), which replaces the colonial-era Indian Penal Code (IPC).

"One key aspect that deserves attention in the wake of these stringent measures is the promotion of dash cams. Dash cams have emerged as a valuable tool that can provide concrete evidence in the event of a road accident," she said.

Khan said most countries in the world have adopted dash cams on a large scale. Making the use of dash cams mandatory for manufacturers aligns with the objective of collecting reliable evidence, ensuring transparency, and facilitating a fair legal process.

The NCP MP said today seat belts, seat belt beeps, and so on have been made mandatory for manufacturers.

Imran Pratapgarhi (Congress) voiced concerns over "unconstitutional actions" take by the Delhi Development Authority (DDA) by removing old structures in Delhi. The DDA, he said, was illegally removing historical buildings and structures, including a mosque.

In his Zero Hour mention, V Vijayasai Reddy (YSRCP) made a demand for withdrawal of the draft de-reservation policy proposed by the University Grants Commission (UGC).

Citing data on professors and assistant professors in central universities, Reddy expressed surprise that the UGC has recently issued draft guidelines on de-reserving the vacancies meant for SCs, STs and OBCs.

"This is this is very much unconstitutional and unwarranted," he said.

पंजाब केसरी

600 साल पुरानी मस्जिद को तोड़े जाने का मामला, हाईकोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को आदेश दिया कि वह उस भूमि पर यथास्थिति बनाए रखे जहां 600 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने आदेश दिया कि 12 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति लागू रहेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यथास्थिति केवल इस विशेष संपत्ति के संबंध में है और यह प्राधिकरण को अन्य अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा। कोर्ट ने यह आदेश दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति की याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि मस्जिद को बिना किसी विध्वंस का नोटिस दिए ध्वस्त कर दिया गया था और ढांचा लगभग 600-700 वर्ष पुराना था। उन्होंने दलील दी कि इस प्रक्रिया में मदरसे और वहां बने कब्रिस्तान को भी ध्वस्त कर दिया गया और कुरान की प्रतियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं, डीडीए के स्थायी वकील ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि सभी धार्मिक पुस्तकों को सावधानी से संभाला गया और अधिकारियों की हिरासत में हैं। उन्हें वापस सौंप दिया जाएगा। डीडीए ने कहा कि यहां तक कि जब डीडीए ने कुछ मंदिरों को ध्वस्त किया, तब भी मूर्तियों का ध्यान रखा गया। इसमें कहा गया है कि मस्जिद को धार्मिक समिति की सिफारिशों के अनुसार ध्वस्त कर दिया गया है और यह वन भूमि पर अतिक्रमण था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दलीलों विचार करने के बाद यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।